बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक–15/जी 1–01/2016–38/ पटना, दिनांक 5/1/16/

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना ।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*(द्वारा वित्त विभाग)

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजनान्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के मार्च, 2016 से फरवरी, 2017 तक के लिए वेतनादि/पेंशनादि, जुलाई, 2015 से फरवरी, 2016 तक की अवधि के लिए बकाये महंगाई भत्ता/महंगाई राहत एवं विभिन्न न्यायालीय वादों में न्यायादेश के तहत अनुमान्य बकाया राशि के भुगतान के लिए कुल रूपये 2219,99,38,166/–(दो हजार दो सौ उन्नीस करोड़ निन्यानवे लाख अड़तीस हजार एक सौ छियासठ) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति तथा उक्त स्वीकृत राशि में से माह मार्च, 2016 से मई, 2016 तक के लिए स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रूपये 506,18,20,305/– (पाँच सौ छः करोड़ अठ्ठारह लाख बीस हजार तीन सौ पाँच) मात्र का सामंजन एक मुश्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष–2016–17 में राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों/घाटानुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों जो, विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत हैं, के मार्च, 2016 से फरवरी, 2017 तक के लिए वेतनादि मद में भुगतान हेतु तत्काल रूपये 1367,98,17,888/– (एक हजार तीन सौ सड़सठ करोड़ अनठानवे लाख सत्रह हजार आठ सौ अठ्ठासी) मात्र, माह जुलाई 2015 से दिसम्बर 2015 तक के लिए 6% की दर से बकाये वर्धित महंगाई भत्ते के लिए रूपये 18,60,75,426/– (अठारह करोड़ साठ लाख पचहत्तर हजार चार सौ छब्बीस) मात्र एवं माह जनवरी 2016 से फरवरी 2016 तक के लिए 12% की दर से बकाये वर्धित महंगाई भत्ते के लिए रूपये 12,40,49,652/–(बारह करोड़ चालीस लाख उनचास हजार छः सौ बावन) मात्र तथा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 1639/2015 व सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 5081/2014 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के तहत तथा अन्य अनिवार्य अनुमान्य बकाया राशि के मद में रूपये 8,83,50,133/– (आठ करोड तेरासी लाख पचास हजार एक सौ तेंतीस) मात्र का व्यय विषय शीर्ष–3104–सहायक अनुदान वेतन से तथा विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक/शिक्षकेतर पदाधिकारी एवं

175

शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित पेंशनादि तथा सेवानिवृत्ति लाभ के मद में भुगतान हेतु तत्काल रूपये 797,39,78,793/–(सात सौ संतानवे करोड़ उनचालीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ तिरानवे) मात्र, माह जुलाई 2015 से दिसम्बर 2015 तक के लिए 6% की दर से बकाये वर्धित महंगाई राहत के लिए रूपये 8,85,99,765/– (आठ करोड़ पचासी लाख निन्यान्वे हजार सात सौ पैंसठ मात्र) एवं जनवरी 2016 से फरवरी 2016 तक के लिए 12% की दर से बकाये वर्धित महंगाई राहत के लिए रूपये 5,90,66,509/– (पाँच करोड़ नब्बे लाख छियासठ हजार पाँच सौ नौ रूपये) मात्र का व्यय विषय शीर्ष–3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा' के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2016–17 में आय–व्ययक में उपबंधित राशि से करने की स्वीकृति निम्नवत दी जाती है:–

0सं0	वि0वि0 का नाम	वित्तीय वर्ष 2016–17 में वेतनादि स्वीकृत की जानेवाली राशि	माह जुलाई, 15 से दिसम्बर,15 तक के बकाया महंगाई भत्ता स्वीकृत की जाने वाली राशि 6 प्रतिशत	माह जनवरी, 16 से फरवरी,16 तक के बकाया महंगाई भत्ता स्वीकृत की जाने वाली राशि 12 प्रतिशत	विभिन्न न्यायालीय वादों में न्यायादेश के तहत एवं अन्य अनिवार्य अनुमान्य बकाया राशि	स्तम्भ 3,4,5, एवं 6 का योग	वित्तीय वर्ष 2016–17 में वेतनादि के अलावा मद में स्वीकृत की जानेवाली राशि	माह जुलाई, 15 से दिसम्बर,15 तक के बकाया महंगाई राहत स्वीकृत की जाने वाली राशि 6 प्रतिशत	माह जनवरी, 16 से फरवरी,16 तक के बकाया महंगाई राहत स्वीकृत की जाने वाली राशि 12 प्रतिशत	स्तम्भ 8,9,10 का योग	स्तम्भ 7 एवं 1 का कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पटना वि0वि	831620544	10801098	7200734	0	849622376	720031200	8000347	5333564	733365111	1582987487
2	मगध वि0वि0	3798365548	49691808	33127510	0	3881184866	1581618688	17573541	11715694	1610907923	5492092789
3	बी0आर0ए0 बिहार वि0वि0	1794570108	25727460	17151630	0	1837449198	1329773916	14775266	9850177	1354399359	3191848557
4	जे0पी0 वि0वि0	773030176	10193580	6795694	0	790019450	446961024	4966233	3310822	455238079	1245257529
5	बी0के0एस0यू0 वि0वि0	1023414532	14056512	9370938	0	1046841982	484439628	5382662	3588442	493410732	1540252714
6	बी0एन0मंडल .वि0वि0	1341562472	19242000	12827998	51966600	1425599070	472621044	5251345	3500897	481373286	1906972356
	टी0एम0बी0यू0 वि0वि0	1687429068	22837776	15225090	0	1725491934	1564807482	17386750	11591166	1593785398	3319277332

ए. .न0एम0यू0 वि0वि0	1888746472	26187948	17458544	0	1932392964	1223069077	13589657	9059771	1245718505	3178111469
के0एम0डी0एस0वि.वि0	521828780	7070358	4713590	36383533	569996261	150656734	1673964	1115976	153446674	723442935
मौ0म0ह0अ0एव फ0 वि0वि0	19250188	266886	177924	0	19694998	0	0	0	0	19694998
कुल योग	13679817888	186075426	124049652	88350133	14078293099	7973978793	88599765	59066509	8121645067	22199938166

विश्वविद्यालयवार अनुदान राशि से संबंधित विस्तृत विवरणी अनुलग्नक--I के रूप में संलग्न है।

2. स्वीकृत राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2016--17 के बजट शीर्ष-- "2202--सामान्य शिक्षा--03-- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा--102--विश्वविद्यालयों को सहायता--माँग संख्या--21--0001--पटना विश्वविद्यालय विपत्र कोड-- N2202031020001--विषय शीर्ष 3104 सहायक अनुदान--वेतन तथा 3106--सहायक अनुदान--वेतनादि के अलावा, 0002 मगध विश्वविद्यालय विपत्र कोड--N2202031020002--विषय शीर्ष--3104 सहायक अनुदान--वेतन तथा 3106--सहायक अनुदान-- वेतनादि के अलावा, 0003 बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर (विहार विश्वविद्यालय) विपत्र कोड--N2202031020003--विषय शीर्ष 3104 सहायक अनुदान -- वेतन तथा 3106--सहायक अनुदान-- वेतनादि के अलावा, 0004--जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा विपत्र कोड--N2202031020004--विषय शीर्ष 3104 सहायक अनुदान--वेतन तथा 3106--सहायक अनुदान--वेतनादि के अलावा, 0005--वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा विपत्र कोड--N2202031020005--विषय शीर्ष--3104 सहायक अनुदान--वेतन तथा 3106--सहायक अनुदान--वेतनादि के अलावा, 0008--बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा विपत्र कोड--N2202031020008--विषय शीर्ष--3104 सहायक अनुदान--वेतन तथा 3106--सहायक अनुदान--वेतनादि के अलावा, 0009--भागलपुर विश्वविद्यालय विपत्र कोड--N2202031020009--विषय शीर्ष-- 3104--सहायक अनुदान--वेतन तथा 3106--सहायक अनुदान--वेतनादि के अलावा, 0011-- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय विपत्र कोड--N2202031020011--विषय शीर्ष--3104--सहायक अनुदान--वेतन तथा 3106--सहायक अनुदान-- वेतनादि के अलावा, 0012--कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय विपत्र कोड--

N2202031020012–विषय शीर्ष–3104–सहायक अनुदान–वेतन तथा 3106–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा, 0016–मौलाना मजहरूल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय विपत्र कोड– N2202031020016–विषय शीर्ष–3104–सहायक अनुदान–वेतन," के अन्तर्गत होगा।

3. इस स्वीकृत राशि से वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की दिनांक 03.06.2008 की बैठक के मद संख्या 13 के अधीन प्राप्त स्वीकृति से निर्गत राज्यादेश संख्या–2/जी1–08–2007 उ0शि0–1333 दिनांक 18.06.2008 में निहित स्थायी आदेश के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 15/जी 1–01/2016–––01 दिनांक 18.05.2016 द्वारा मार्च, 2016 से मई, 2016 तक के लिए वेतनादि मद में स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रूपये 348,91,74,492/–(तीन सौ अड़तालीस करोड़ ईक्यानवे लाख चौहत्तर हजार चार सौ बयानवे) मात्र का सामंजन 'विषय शीर्ष–3104–सहायक अनुदान वेतन' के अन्तर्गत' स्वीकृत राशि से तथा वेतनादि के अलावा मद में स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रूपये 157,26,45,813/– (एक सौ संतावन करोड़ छब्बीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ तेरह) मात्र का सामंजन 3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा शीर्ष से कर लिया जायेगा।

वेतनादि/वेतनादि के अलावा मद में समायोजन के उपरान्त कुल स्वीकृत राशि 1713,81,17,861/– (एक हजार सात सौ तेरह करोड़ इक्यासी लाख सत्रह हजार आठ सौ एकसठ) मात्र में से माह जुलाई 2015 से दिसम्बर 2015 तक के लिए 6% की दर से बकाये वर्धित महंगाई भत्ते के लिए रूपये 18,60,75,426/– (अठारह करोड़ साठ लाख पचहत्तर हजार चार सौ छब्बीस) मात्र, माह जनवरी 2016 से फरवरी 2016 तक के लिए 12% की दर से बकाये वर्धित महंगाई भत्ते के लिए रूपये 12,40,49,652/–(बारह करोड़ चालीस लाख उनचास हजार छः सौ बावन) मात्र, सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 1639/2015 व सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 5081/2014 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के तहत तथा अन्य अनिवार्य अनुमान्य बकाया राशि के मद में रूपये 8,83,50,133/– (आठ करोड़ तेरासी लाख पचास हजार एक सौ तेंतीस) मात्र, माह जुलाई 2015 से दिसम्बर 2015 तक के लिए 6% की दर से बकाये वर्धित महंगाई राहत के लिए रूपये 8,85,99,765/– (आठ करोड़ पचासी लाख निन्यानवे हजार सात सौ पैंसठ मात्र) एवं जनवरी 2016 से फरवरी 2016 तक के लिए 12% की दर से बकाये वर्धित महंगाई राहत के लिए रूपये 5,90,66,509/– (पाँच करोड़ नब्बे लाख छियासठ हजार पाँच सौ नौ रूपये) मात्र की विमुक्ति विश्वविद्यालयों को एक मुश्त की जायेगी। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 15/जी01–1/2016– 01 दिनांक 18.05.2016 के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के माह मार्च, 2016 से मई, 2016 तक के लिए अग्रिम वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत की गयी राशि रूपये 506,18,20,305/–(पाँच सौ छः करोड़ अठारह लाख बीस हजार तीन सौ पाँच) मात्र तत्समय महँगाई भत्ता/महँगाई राहत 113 प्रतिशत के आधार पर स्वीकृत की गयी है। अतः उपर्युक्त तीन माह के लिए 12 प्रतिशत बकाया महँगाई भत्ता की राशि रूपये 29,30,68,245/– (उनतीस

करोड़ तीस लाख अड़सठ हजार दो सौ पैंतालीस) की विमुक्ति भी सभी विश्वविद्यालयों को एक मुश्त कर दी जायेगी।

अवशेष राशि रूपये 1629,89,08,131/–(एक हजार छः सौ उनतीस करोड़ नवासी लाख आठ हजार एक सौ एकतीस) मात्र की विमुक्ति नौ किस्तों में माह जून–2016 से फरवरी–2017 तक प्रत्येक माह के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में की जायेगी।

4. वर्तमान में स्वीकृत राशि से राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतनादि मद में राशि का भुगतान निम्नांकित शर्तो एवं बंधेजों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा :–

(i) वेतनादि लाभ का भुगतान वैसे ही शिक्षक/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से नियुक्त होकर कार्यरत हैं।

(ii) दिनांक–01.01.1996 के बाद तथा दिनांक–19.04.2007 के पूर्व जिन शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है, उनकी प्रोन्नति में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 58(10) के आलोक में आयोग की सहमति तथा 20.04.2007 से विश्वविद्यालय चयन समिति का अनुमोदन संबंधित परिनियमों में विहित प्रावधानों तथा विभागीय पत्रों के अधीन प्राप्त है।

(iii) वित्तीय वर्ष–2015–16 में स्वीकृत राशि से जिन शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है, उनके वेतनादि का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–35 की उप धारा–(2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है।

(iv) शिक्षकों के वेतनादि का भुगतान राज्य सरकार के पत्र–2374 दिनांक–29.07.2010 की कंडिका–1(10), 2(10) तथा संकल्प के एपेन्डिक्स–1 की उप–कंडिका–(ii) में अंकित निदेशों के आधार पर किया जायेगा तथा शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय संकल्प संख्या–2693, दिनांक–27/08/2010 के द्वारा स्वीकृत वेतनमान में भुगतान किया जायेगा।

(v) विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत बने परिनियमों एवं राज्य सरकार के निर्देशों एवं न्यायादेशों के अनुसार नियुक्ति एवं प्रोन्नति में वॉछित अर्हता पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

(vi) चतुर्थ चरण में नव अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–6098/97 में दिनांक 12.10.2004 को पारित आदेश के अनुपालन में मात्र वैसे शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि की गणना की गई है, जो जस्टिस एस0सी0 अग्रवाल समिति के प्रतिवेदन एवं सिविल अपील संख्या–6098/97 में पारित आदेश के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत पदों या दिनांक 30.04.86 तक अनुशंसित पद के विरूद्ध नियुक्त हों।

(vii) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 की धारा--(2) के अनुसार केवल ऐसे प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक काटि में माना जाना है जो, दिनांक 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर दिनांक 18.9.1975 तक बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा/सहमति से नियुक्त हुए थें।

(viii) शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिनांक 01.04.81 के पहले तथा 31.12.95 के बाद अनुमान्य नहीं है तथा इसमें राज्य कर्मियों के लिए निर्धारित सभी नियमों, बन्धेजों तथा अन्य सभी शर्त्तों का विश्वविद्यालय द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना है। इसमें किसी भी प्रकार का ढील या फेरबदल विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति का लाभ मिल चुका हो उन्हें नियमों के विपरीत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जायगा।

(ix) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार, परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान, किसी भी कर्मी को उच्च स्तरीय पद के वेतनमान में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(x) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीनस्थ उपशास्त्री महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य के वेतनमान का पुनरीक्षण अभी तक विभाग द्वारा नहीं किया गया है। अतः इन महाविद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों के वेतनादि का भुगतान अपुनरीक्षित वेतनमान में किया जायेगा। इसके अलावा इस कोटि के महाविद्यालयों में सभी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों का विभागीय संकल्प संख्या 1263 दिनांक 05.08.2016 के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन भुगतान किया जायेगा।

(xi) विश्वविद्यालय से प्राप्त बजट की समीक्षा के क्रम में पूर्व वित्तीय वर्ष (2014–15) में की गयी गणना को ध्यान में रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष की गणना में भी मूलतः शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद या कार्यरत की संख्या, उनमें से जो कम हो को आधार बनाया गया है। अतः वेतनादि का भुगतान केवल स्वीकृत पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को ही किया जायेगा।

(xii) राज्य सरकार ने हड़ताल की अवधि की अनुपस्थिति को विनियमित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 508 दिनांक 01.03.2012 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों के संदर्भ में पूर्व में लिए गए निर्णय "काम नही तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त को अक्षुण्ण रखते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की हड़ताल अवधि की अनुपस्थिति को भी असाधारण "अवैतनिक" अवकाश के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय संसूचित किया है। अतः राज्य सरकार के द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के

आलोक में शिक्षक / शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की किसी प्रकार की हड़ताल अवधि के वेतनादि का भुगतान, उक्त अवधि के विनियमन में राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् ही किया जायेगा।

(xiii) स्वीकृत राशि का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर पर किये जाने के समय माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 5859 / 1996 में दिनांक 21.02.2000 तथा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 9839 / 2001 में दिनांक 16.10.2001 को पारित न्याय निर्णय, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सम्पुष्ट किया जा चुका है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस कम में विभागीय स्तर से निर्गत पत्र संख्या 2086 दिनांक 09.11.2012 में अंकित निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(xiv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 516 / 2013 में पारित न्यायादेश तथा उससे उद्भूत अवमाननावाद संख्या 262 / 2013; बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ बनाम अशोक कुमार सिन्हा में विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय पत्र संख्या–1163 दिनांक 20.06.2014, विभागीय पत्र संख्या–1192 दिनांक 23.06.2014 (विभागीय पत्रांक 1328 दिनांक 19.08.2016 द्वारा यथा संशोधित) एवं विभागीय पत्र संख्या–1139 दिनांक 18.06.2014 (विभागीय पत्रांक 1340 दिनांक 13.08.2016 द्वारा यथा संशोधित) के आलोक में उन कर्मियों के वेतनादि का भुगतान उपलब्ध करायी गई राशि से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(xv) इसके अलावे वैसे मामले जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना / माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली विश्वविद्यालयों के कर्मियों को भुगतान करने का स्पष्ट न्यायादेश है, तो उन मामलों में भी, उपलब्ध करायी गयी राशि से भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

(xvi) न्यायादेश के आलोक में अगर किसी मामले में वादी को राशि का भुगतान करना नितान्त आवश्यक हो, तो वैसे मामले में विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(xvii) उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्तों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा न केवल संबंधित विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान स्थगित किया जायेगा, बल्कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 की धारा–35(3) तथा 52(3) तथा अन्य विश्वविद्यालयों के मामले में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–35(3) एवं 52(6) के अन्तर्गत अनुमान्यता से अधिक भुगतान की गयी राशि संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई की जायेगी एवं उनके विरूद्ध न केवल प्रशासनिक कारवाई बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

5. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रभाण पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त होने के पश्चात् आगे स्वीकृत की जानेवाली राशि विमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का भी प्रमाण–पत्र दिये जाने की आवश्यकता होगी, कि विधिसम्मत रूप से कार्यरत विश्वविद्यालय / महाविद्यालय शिक्षकों / शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर अनुमान्य वेतनादि का भुगतान किया गया है।

169

6. विभागीय पत्रांक 15/एम–1–118/2001 उ0शि0–425, दिनांक 15.03.2002 तथा पत्रांक–809, दिनांक–18.06.2003 के द्वारा विश्वविद्यालय एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के सम्पूर्ण वार्षिक लेखे का अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। इसके आलोक में वार्षिक लेखा का अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–10(6) में विश्वविद्यालय कुलपति को मात्र स्वीकृत पद पर नियुक्ति का अधिकार है। अतः अनुकम्पा के आधार पर स्वीकृत एवं रिक्त मौलिक पद पर की गयी नियुक्ति विधि ही मान्य है। वर्णित स्थिति में स्वीकृत की जा रही राशि की गणना हेतु, स्वीकृत बल या कार्यरत बल, इसमें से जो भी कम हो को आधार बनाया गया है। विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना है कि जो व्यक्ति स्वीकृत पद पर कार्यरत नहीं है तथा जिनकी सेवा का सामंजन न्यायादेश के आलोक में विधिवत रूप से नहीं किया गया है, उनकी सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किये जाने की कारवाई विश्वविद्यालय द्वारा की जाए। अनियमित तथा अवैध रूप से कार्यरत व्यक्तियों के वेतनादि के भुगतान की किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर नहीं होगी।

8. शिक्षा विभाग के पत्र संख्या–वे0स0को0 4657/2013–57 दिनांक 13.02.15 में दिए गये निदेश के अनुपालन में वैसे शिक्षक, जिनका वेतन सत्यापन हेतु आवेदन वेतन सत्यापन कोषांग को प्राप्त नहीं कराया गया है, को उनके मूल वेतन की 25 प्रतिशत राशि की कटौती कर उन्हें वेतन भुगतान किया जायगा।

विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान हेतु पूर्ण राशि विमुक्त की जा रही है। जिन शिक्षकों के वेतन से कटौती की जा रही है, उन शिक्षकों के लिए स्वीकृत/विमुक्त राशि विश्वविद्यालय कोष में सुरक्षित रखी जायगी।

9. सेवा निवृत्ति लाभ के मद में भुगतान के समय विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि त्रिलाभ योजना के अधीन विभागीय राज्यादेशों एवं परिनियम में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल किसी सेवा निवृत्त शिक्षक को सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

10. राज्य के सभी विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत राशि एवं इससे संबंधित विवरणी को आवश्यकतानुसार शिक्षक/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि मद में स्वीकृत एवं कर्णाकिंत की गई राशि में आवश्यक परिवर्तन एवं आवश्यकतानुसार न्यायादेश के अनुपालन हेतु विभाग द्वारा यथा आवश्यक निदेश भी दिया जा सकेगा।

11. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग एवं राज्य सरकार के वित (अंकेक्षण) विभाग को इस स्वीकृत राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. विश्वविद्यालयों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति वित्तीय वर्ष 2015–16 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार से सामंजन होने के पश्चात की जा सकेगी।

13. वित्त विभाग के पत्रांक–7355(2) दिनांक–05.10.2007, पत्र संख्या–5374 दिनांक 19.06. 2015 तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक0) के पत्रांक–टी0एम0 11–877–907 दिनांक–08.11. 2007 के आलोक में स्वीकृत कुल राशि 2219,99,38,166/–(दो हजार दो सौ उन्नीस करोड़ निन्यानवे लाख अड़तीस हजार एक सौ छियासठ रूपये) मात्र में से विभागीय राज्यादेश संख्या 15/जी 1–01/2016––01 दिनांक 18..05.2016 के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रथम तीन माह अर्थात मार्च 2016 से मई 2016 के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षकेतर पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि मद में स्वीकृत कुल रूपये 506,18,20,305/–(पाँच सौ छः करोड़ अठारह लाख बीस हजार तीन सौ पाँच) मात्र का सामंजन करने के उपरान्त अवशेष राशि रूपये 1713,81,17,861/–(एक हजार सात सौ तेरह करोड़ एकासी लाख सत्रह हजार आठ सौ एकसठ) मात्र की विमुक्ति निदेशक, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार की जायेगी तथा उसकी निकासी विकास भवन अवस्थित सचिवालय कोषागार से BTC-42 पर सेवा शीर्ष से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर की जायेगी।

वर्धित महँगाई भत्ता/महँगाई राहत/न्यायालीय वादों में न्यायादेश के आलोक में तथा अन्य अनिवार्य अनुमान्य बकाया राशि के मद में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि के साथ–साथ वेतनादि/पेंशनादि मद में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि में से मार्च, 2016 से मई, 2016 तक बर्द्धित महँगाई भत्ता 12 प्रतिशत की दर से अन्तर वेतन राशि की विमुक्ति राज्य के विश्वविद्यालयों को एक मुश्त कर दी जायेगी। तत्पश्चात् अवशेष राशि नौ किस्तों में संबंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर पदाधिकारी एवं कर्मचारी के माह जून, 2016 से फरवरी, 2017 तक के वेतनादि/पेंशनादि के भुगतान हेतु प्रत्येक माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में निदेशक, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार स्वीकृत राशि के अन्तर्गत माहवार विमुक्त करते हुए इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय के स्टेट बैंक खाता में उपलब्ध करा दी जायेगी।

ऊपर अंकित कुल स्वीकृत राशि में से माह मार्च, 2016 से मई, 2016 तक के लिए वेतनादि/पेंशनादि के लिए पूर्व में विमुक्त राशि के सामंजन के उपरान्त अवशेष राशि रूपये 1713,81,17,861/–(एक हजार सात सौ तेरह करोड़ इक्यासी लाख सत्रह हजार आठ सौ एकसठ) मात्र की माहवार निकासी, वित्तीय वर्ष 2015–16 तक विश्वविद्यालयों को स्वीकृत एवं विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार द्वारा सामंजन के पश्चात, निम्न विवरणी के अनुसार होगी :–

(i)	सितम्बर, 2016 माह में :–	माह जून, 2016 से माह सितम्बर, 2016 तक वेतनादि/पेंशनादि, वर्द्धित महँगाई भत्ता/महँगाई राहत एवं न्यायालीय वादों में न्यायादेश के आलोक में अनुमान्य बकाया राशि के साथ–साथ मार्च, 2016 से मई, 2016 तक 12 प्रतिशत वर्द्धित महँगाई भत्ता की दर से अन्तर वेतन राशि के मद में रूपये 806,69,02,057/–(आठ सौ छः करोड़ उनहत्तर लाख दो हजार संतावन मात्र)

167

(ii) अक्टूबर, 2016 से फरवरी, 2017 तक प्रत्येक माह में :– प्रत्येक माह में वेतनादि/पेंशनादि मद में रूपये 181,42,43,160/–(एक सौ एकासी करोड़ बयालीस लाख तेंतालीस हजार एक सौ साठ) मात्र प्रतिमाह की दर से निकासी की जायेगी।

14. स्वीकृत राशि की निकासी पटना सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना से आवंटन आदेश निर्गत किये जाने के पश्चात् होगी। इस राशि की निकासी कर संबंधित विश्वविद्यालयों को इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने हेतु अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन,
(सुशील कुमार)
निदेशक(प्रशासन)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांकः–15/जी 1–01/2016 38 पटना, दिनांक 5/10/16/

प्रतिलिपिः–(अनुलग्नक की प्रति सहित) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/आय–व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी–09, वित्त विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना/सभी उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–05, 14 एवं 15 तथा सभी सहायक तथा लेखापाल शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार, पटना तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कर दें।

निदेशक(प्रशासन)–सह–अपर सचिव

अनुलग्नक–1

क्र० सं०	वि०वि० का नाम	वित्तीय वर्ष 2016–17 में वेतनादि स्वीकृत की जानेवाली राशि	माह जुलाई, 15 से दिसम्बर,15 तक के बकाया महंगाई भत्ता स्वीकृत की जाने वाली राशि 6 प्रतिशत	माह जनवरी, 16 से फरवरी,16 तक के बकाया महंगाई भत्ता स्वीकृत की जाने वाली राशि 12 प्रतिशत	विभिन्न न्यायालीय वादों में न्यायादेश के तहत अनुमान्य बकाया राशि	स्तम्भ 3,4,5, एवं 6 का योग	वित्तीय वर्ष 2016–17 में माह मार्च से मई 2016 तक स्वीकृत एवं विमुक्त वेतनादि की राशि जिसका सामंजन किया जाना है।	सामंजन के उपरान्त अवशेष राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में वेतनादि के अलावा मद में स्वीकृत की जानेवाली राशि	माह जुलाई, 15 से दिसम्बर,15 तक के बकाया महंगाई राहत स्वीकृत की जाने वाली राशि 6 प्रतिशत	माह जनवरी, 16 से फरवरी,16 तक के बकाया महंगाई राहत स्वीकृत की जाने वाली राशि 12 प्रतिशत	स्तम्भ 10,11 एवं 12 का योग	वित्तीय वर्ष 2016–17 में माह मार्च से मई 2016 तक स्वीकृत एवं विमुक्त पेंशनादि की राशि जिसका सामंजन किया जाना है।	सामंजन के उपरान्त अवशेष राशि	स्तम्भ 9 एवं 15 का कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	पटना वि०वि०	831620544	10801098	7200734	0	849622376	212329941	637292435	720031200	8000347	5333564	733365111	142006152	591358959	1228651394
2	मगध वि०वि०	3798365548	49691808	33127510	0	3881184866	943411077	2937773789	1581618688	17573541	11715694	1610907923	311930352	1298977571	4236751360
3	बी०आर०ए० बिहार वि०वि०	1794570108	25727460	17151630	0	1837449198	478010016	1359439182	1329773916	14775266	9850177	1354399359	262260966	1092138393	2451577575
4	ज०पी० वि०वि०	773030176	10193580	6795694	0	790019450	189841911	600177539	446961024	4966233	3310822	455238079	88150647	367087432	967264971
5	भी०के०एस०यू० वि०वि०	1023414532	14056512	9370938	0	1046841982	261984231	784857751	484439628	5382662	3588442	493410732	95542260	397868472	1182726223
6	बी०एन०मंडल वि०वि०	1341562472	19242000	12827998	51966600	1425599070	357678195	1067920875	472621044	5251345	3500897	481373286	93211371	388161915	1456082790
7	टी०एम०बी०यू० वि०वि०	1687429068	22837776	15225090	0	1725491934	424693092	1300798842	1564807482	17386750	11591166	1593785398	308614809	1285170589	2585969431

8	एन0एन0एम0यू0 वि0वि0	1888746472	26187948	17458544	0	1932392964	486862473	1445530491	1223069077	13589657	9059771	1245718505	241216401	1004502104	2450032795
9	के0एम0डी0एस0वि. वि0	521828780	7070358	4713590	36383533	569996261	129168234	440828027	150656734	1673964	1115976	153446674	29712855	123733819	564561846
10	मौ0म0ह0अ0एव फ0 वि0वि0	19250188	266880	177924	0	19694998	5195322	14499676	0	0	0	0	0	0	14499676
	कुल योग	13679817888	186075426	124049652	88350133	14078293099	3489174492	10589118607	7973978793	88509765	59066509	8121645067	1572645813	6548999254	17138117861